17.31 hrs.

Title: Regarding Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, देश के सर्वांगीण विकास की दृटि से प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश के विभिन्न भागों को, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने की एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना भी सम्मिलित है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, रोजगारमूलक योजना है जिसमें न केवल ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का निर्माण होता है, अपितु लाखों-लाख की संख्या में रोजगार भी उपलब्ध होते हैं। इस योजना के तहत धन की भी कोई कमी नहीं है, हजारों-करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इस दृटि से इस महत्वपूर्ण योजना में कुछ स्थानों पर कतिपय कठिनाइयां आ रही हैं और उसी दृटि से जब सदन में यह प्रश्न पूछा गया और प्रश्न के दौरान जो बातें उभर कर आईं, उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनका तत्काल उत्तर संभव ही नहीं था। बहुत से माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर भी नहीं मिला था। इस दृटि से आज यह चर्चा उठाई जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से काफी समाधान करने वाला उत्तर दिया गया था, किन्तु कुछ बातें ऐसी थीं जिनका समाधान तब भी नहीं हो सका था। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, गांव को कनैक्टिविटी प्रदान करना और देश के लाखों-लाख गांवों को इस प्रकार जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे मार्ग प्रशस्त करना, जिससे गांव वाले भी महसूस कर सकते हैं कि इसमें हमारा कुछ योगदान है, हमारी उन्नति के भी अवसर हैं। लगभग पचास-पचपन वर्षों की आजादी के बाद भी जिस प्रकार आज गांव उपोक्षित हैं, वे उपेक्षित गांव वाले जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली या बनी हुई सड़क देखते हैं तो सोचते हैं कि पहले और आज की सरकार में यह अंतर है। प्रधान मंत्री द्वारा जो निर्णय लिए गए, कितनी बेहतरीन सड़कें हैं, कल तक जिनपर चलने में कठिनाई होती थी, आज उन पर सरपट दौड़े चले जाते हैं। अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार लगभग 1,229 सड़कें पूरी तरह निर्मित हुई हैं और साथ ही लगभग 40,000 ग्रामीण बस्तियां इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश आया है कि जहां पंचायत मुख्यालयों को एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का यत्न किया गया है वहीं प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए। इस तरह अगर पंचायत मुख्यालय जुड़ जाता है तो आस-पास के गांव भी निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। इस दृटि से इस योजना का महत्व इतना बढ़ गया है कि हरेक गांव वाला यह चाहता है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क मेरे इधर से निकले और मैं भी उससे लाभान्वित होऊं।

अभी एक और नया निर्देश जारी किया गया है कि उसमें कुछ ऐतिहासिक महत्व के स्थल, कुछ पुरातत्वीय महत्व के स्थल या कुछ ऐसे स्थल जो उस विभाग में धार्मिक दृटि से अत्यन्त महत्व रखते हैं, उन स्थानों को भी इन सड़कों के साथ जोड़ दिया जाए। इस प्रकार एक विशद कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, लिया जा रहा है, लेकिन जो कठिनाई आ रही है, यहां से जो मानदंड तय किए गए हैं, जिस प्रकार से डिज़ाइन दिए गए हैं, उस डिज़ाइन और मानदंड के अनुसार कई राज्यों के अंतर्गत यह काम नहीं होता। उस चर्चा के दौरान आया था कि बिहार सरकार को केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। खर्च नहीं हुआ और खर्च हुआ है तो बहुत कम हुआ है। केन्द्र सरकार का इस बारे में कहना वाजिब है कि पहले का कम्पलीशन सर्टिफिकेट दीजिए कि पहले का निर्माण काम पूरा हो गया है। यदि उसका प्रमाणीकरण नहीं होता है तो नयी धनराशि कैसे दी जाएगी ? इस तरह के कई राज्य हैं तथा और भी हो सकते हैं जहां पर इस दी हुई धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग नही कर पा रहे हैं या समय पर नहीं कर पा रहे हैं और एक अच्छी योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। जो डिजाइन और मापदंड हैं, उनके अनुसार कार्य किया जाए क्योंकि जो देखने में आ रहा है, उस पर पूरी निगरानी नहीं है। मैं दो-तीन बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा।

उसमें डिजाइन और मापदंड होते हैं। हम कई स्थानों पर गये और केन्द्र ने निर्देश भी किया कि एक ऑब्जर्वेशन कमेटी, मोनीटरिंग कमेटी हो। लेकिन केन्द्र के निर्देश के बाद भी कई राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है। मुझे कहते हुए दुख है कि वहां अब तक कई जिलों के अन्तर्गत इस प्रकार की समितियां नहीं बन पायी हैं। केन्द्र द्वारा माननीय सदस्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। मैं चाहूंगा कि इसके अन्तर्गत भी दुबारा निर्देश जारी किये जाएं कि ये समितियां जल्दी से जल्दी बनें ताकि कुछ काम आगे बढ़ सके क्योंकि वहां गांवों में भी अच्छी सड़कें अगर बनेंगी तो सांसद भी अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तरह से करेंगे। यदि सांसदों के पास निगरानी का कोई काम ही नहीं है तो वे कैसे जाकर करेंगे ? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान दें। अभी तक जो राशि यहां से दी गई है, लगभग 8000 करोड़ बनती है और उसमें वास्तविक व्यय लगभग साढ़े पाचं हजार- छ: हजार करोड़ व्यय हुआ है। इस तरह से पैसा विलम्ब से खर्च हो रहा है। इसके कारण 2001-2002 में सड़कें बननी चाहिए थीं, टेंडर कॉल किये जाने चाहिए थे, फाइनेलाइज किया जाना था लेकिन टेंडर कॉल करने में ही विलम्ब हो रहा है। यह एक राज्य में नहीं, अनेक राज्यों में विलम्ब हुआ है। इस विलम्ब को कैसे कम किया जा सकता है? इस विलम्ब को कम किया जाना चाहिए ताकि तेजी से काम किया जा सके। मैं समझता हूं कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोई निश्चित ही निर्देश देंगे अन्यथा 2001-2002 में माननीय सदस्यों ने बैठकर अपने राज्य की दृटि से जो तय किया कि ये सड़कें बननी चाहिए लेकिन जब उनके टेंडर ही पास नहीं होंगे तो सड़कें कैसे बनेंगी ? 2002-2003 मेंâ€¦ (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : माननीय सदस्य टेंडर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो सड़कें बन रही हैं, मेरे मध्य प्रदेश का अभी इन्होंने जिक्र किया।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : लक्ष्मण सिंह जी, अभी नहीं। इसके बाद करेंगे।

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो सड़कें बनने का काम है, इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ? सन् 2001-2002 में हमने बैठकर तय किया। लेकिन उसके बाद भी जो टेंडर कॉल किये जाने चाहिए थे, वे समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। कभी इंजीनियर्स की कमी है, कभी काम करने वालों की कमी है और कभी ठेकेदार नहीं आ रहे हैं। अगर ठेकेदार बड़ा आता है तो वह सब-कांट्रैक्टर को दे देता है और सब-कांट्रैक्टर पैटी कांट्रैक्टर को दे देता है और इस प्रकार से एक के बाद एक ठेका दिया जाता है। जब हम स्पॉट पर जाते हैं तो न इंजीनियर, न ठेकेदार और केवल काम पर लगे हुए लोग ही मिलते हैं तो हम बात करें तो किससे करें ? कोई जवाबदार तो वहां हो। इन कठिनाइयों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

तीन दिन पहले मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से चर्चा की है। उन्होंने भी इस पर आश्वस्त किया कि इस बारे में वह ध्यान देंगे। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार मुख्य मंत्री जी उदारता पूर्वक बात करते हैं लेकिन हमारे जो मंत्री महोदय हैं, वह तो लक्ष्मण सिंह जी के क्षेत्र में भी आ सकते हैं और दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। लेकिन शायद मंत्री महोदय को भूमि पूजन का इतना शौक है कि हमारा बजट सैशन चल रहा है और वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रख दिया। मैंने माननीय मंत्री जी से बातचीत की और पूछा कि यह क्या कर रहे हैं, बजट सैशन चल रहा है और वित्त विधेयक 28 तारीख को है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इसमें तो आपको करना चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं वही बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं। मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में उदार हैं।

उन्होंने कहा कि मैं फिर से निर्देश जारी करूंगा कि मंत्री ऐसा न करें। लेकिन वहां के मंत्री ऐसा कर रहे हैं। 28 तारीख को मेरे क्षेत्र के अंदर बिना मेरी जानकारी के, बिना मुझे सूचित किए उन्होंने कार्यक्रम रख लिया। मैंने कहा भी था कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और 28 तारीख को वित्त विधेयक पास होना है, मैं आपका आग्रह मान लेता, लेकिन मैं नहीं आ सकता। इसी तरह से दूसरे भी मंत्री हैं। विभाग वालों ने भी कहा कि वे नहीं आएंगे। ठेकेदार भी नहीं आया। पंचायत के सरपंच को बुला लिया और भूमि पूजन कर दिया। इसलिए जो भी वहां पर इंचार्ज है, जो अधिशाी अभियंता है, जो उसकी देखरेख करते हैं, उनको निर्देशित किया जाए।

सभापति महोदय : स्पीच नहीं देनी है, केवल प्रश्न पूछने हैं। इसलिए आप समाप्त करें।

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपका जो रोड मैनुअल है, उसका पालन होना चाहिए। मैं इसकी धाराओं की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें स्पट है कि सांसदों की सहमति ली जाए, उनसे परामर्श किया जाए, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी योजना है जिसको जल्दी से जल्दी पूरा करके लोगों को लाभान्वित किया जाना है। इसमें जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, उनको दूर किया जाए। जो निर्देश हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश का एक नया निर्देश और आ गया है कि सांसदों द्वारा प्रदत्त निधि के कार्य पंचायतों को पांच लाख रुपए तक काम करने का अधिकार दिया जाए। हम पंचायत की इज्जत करते हैं। इसी सदन में हमने पंचायती राज सम्बन्धी विधेयक पास किया था। लेकिन पंचायतों के पास न तो इंजीनियर्स हैं, न रोलर हैं और न ही अन्य साधन हैं। अगर कोई पंचायत करने में सक्षम हो तो उसको देना चाहिए, अन्यथा पांच लाख रुपए तक के कार्य पंचायतों को दिए जाएंगे तो काम की गुणवत्ता नहीं रहेगी। यह केवल केन्द्र का निर्देश नहीं है, कई बार राज्यों के विभाग भी ऐसे निर्देश दे देते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। सांसदों के अधिकारों में हस्तक्षेप है।

वन भूमि के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर रोड बनाने के बीच में वन भूमि आ जाए, तो यह केन्द्र का विाय हो जाता है। उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर वन भूमि में सड़क चली जाए तो उस जगह केन्द्र सरकार को अधिग्रहण करके काम आगे चलाना चाहिए। इसी तरह से जहां-जहां निजी भूमि आती है, वहां भी कई दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कोई दावा कर देता है, आपत्ति पेश कर देता है। इसलिए उसके भी अधिग्रहण सम्बन्धी अगर नियम में संशोधन करना पड़े, तो करना चाहिए, जिससे सड़क बनाने का काम बाधित न हो।

कई राज्यों द्वारा अच्छा काम भी किया जा रहा है। मैंने मध्य प्रदेश की बात कही है। वहां विकास की दृटि से ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बनाया है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम सांसदों की उपेक्षा करके या उनके अधिकारों पर कुठाराघात करके वह काम न करें। मंत्री जी देखें कि काम ठीक हो रहा है या नहीं। यह कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, ताकि गांव हम गांव वालों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित कर सकें। और अंत में पुन: कहूंगा कि केन्द्र के निदेर्शों का पालन हो। आब्जर्वेसन और मानिटरिंग कमेटियां शीघ्र गठित हों।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, डा. पांडेय ने बहुत से मुद्दे सदन के सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं केवल दो-तीन प्रश्न ही करना चाहूंगा। केन्द्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, उसमें यह है कि समबन्धित सांसदों की सहमति भी उसमें ली जाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सतर्कता और मानेटरिंग कमेटी बनाने के आदेश ही नहीं दिए गए। यहां से कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सांसदों को मनोनीत कर दिया गया, लेकिन उनको काम करने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में काम का जो लक्ष्य तय किया गया है, उससे पीछ काम चल रहा है। अभी तक लगभग आठ हजार करोड़ रुपए स्वीकृत होकर राज्यों को दिए गए हैं, परंतु 3658 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। लक्ष्य है कि 500 की आबादी के सभी गांव 2007 तक सड़क मार्ग से जोड़ दिए जाएं, लेकिन अभी तक एक तिहाई काम भी नहीं हुआ है।

इसके साथ-ही-साथ समय-समय पर जो आदेश दिए गए हैं, उनके अनुसार मौके पर मुआयना करने के लिए वाहन की सुविधायें अगर उपलब्ध करानी पड़ें, तो कराई जायें, ताकि यह देखा जा सके कि आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, केन्द्र की गाइडलाइन्स के अनुसार सतर्कता एवं मोनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका पालन करवाने की व्यवस्था सरकार करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न है। योजना का लक्ष्य 2007 तक पूरा करने की स्वीकृति आप देने वाले हैं, लेकिन स्वीकृति के लिए सहमति लेना आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसको आप मैंडेटरी करेंगें या नहीं?

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Thank you, Chairman, Sir. This programme of the hon. Prime Minister − *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* − is a very useful programme for the villages but at the same time it is a very bold step taken by the Government of India by creating a Monitoring and Vigilance Committee. It is not at all implemented in many of the States including Tamil Nadu. When we asked the Collector concerned, he said that he did not have the clearance from the State Government and, therefore, he was not ready to constitute that Committee. But constituting such a Committee is a very bold and appreciable step. It is for the first time, after the implementation of the 74th and 75th Amendments to the Constitution - it was a dream project of Shri Rajiv Gandhi for giving powers to the *panchayats* and to the elected Members - that method of Monitoring and Vigilance Committee has been introduced. That Committee should have the Member of Parliament as its Chairman, especially Lok Sabha MP; otherwise funds should not be released from the Centre till this Committee is constituted and programmes are accepted by the Committee.

Moreover, when the stipulation of 500 population is given, many of the villages are having only 200 or 250 population, especially in the coastal areas or backward districts. These districts are not covered by this programme. My suggestion is that these small areas should also be covered. The connectivity is very important so that they can come to the mainstream of the population because these people are backward. They need orientation. The purpose of this programme is appreciable, but that should be implemented for the lesser population also.

MR. CHAIRMAN : Please ask a specific question.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : The Government should take the initiative to give priority to the coastal, backward and forest areas when the forest is covered through this type of connectivity. The State Government is not at all giving that type of approval. They say that they have to get clearance from the Environment Ministry. Therefore, they are not allowing the forest to be covered by that road. Therefore, the Government should take steps to give powers to the Forest Department so that they can do the connectivity service. Even in Tamil Nadu, the Chief Minster is inaugurating projects worth crores of rupees as if the fund is provided by the State Government. I had granted money from the MPLAD fund to construct a bus stand. It was about to be inaugurated. Invitation was sent but it was stopped, because Ms.Jayalalithaa wanted to inaugurate even the projects funded through the MPLADS and even the roads constructed under the *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* in order to show to the people that she has done that. Therefore, this type of things should be stopped and it should be shown that it is totally a programme of the Government of India. I would like to know whether the Government will take steps regarding that.

MR. CHAIRMAN : Shri Ashok Argal − Not present.

As a special case, I am allowing two or three Members to speak.

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के लिए एक हजार की आबादी के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्पट निर्देश हैं कि वे गांव जो किसी भी तरह से सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उन गांवों को ही चयनीत किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और खास कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिन सड़कों को चयनीत किया गया है, उसमें इस निर्देश का अनुपालन नही किया गया है। 18 सड़कें मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चयनीत की गई है।

मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि 13 सड़कें इस मानक को पूरा नहीं करती हैं। जिन लोगों ने भारत सरकार के इस दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है, क्या उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे?

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सड़कों का चयन और उसके लोकार्पण के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए हैं लेकिन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दूसरे तमाम राज्यों के सदस्यों ने अपनी व्यथा कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उनका अनुपालन राज्य में अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। या भारत सरकार अपने उस दिशा-निर्देश को वापल ले ले अन्यथा भारत सरकार अपने द्वारा दिए दिशा-निर्देश का अनुपालन कराएं।

आपने अभी मॉनिटरिंग और विजिलैंस कमेटी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की समीक्षा के लिए बनायी है। हमारे यहां काफी संर्घा के बाद विजिलैंस और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। इसकी बैठक भी हुई लेकिन मुझे उस बैठक का कड़वा अनुभव यह है कि उसमें जिलाधिकारी सहित जितने भी अधिकारी रहे उन्होंने उस बैठक के प्रति उपेक्षा के भाव प्रदर्शित किए। हमने जो तमाम सुचनाएं मांगी थी उन्हें उस कमेटी में नहीं रखा गया और अब तक उन सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया। जो विजिलैंस और मॉनिटरिंग कमेटी बनायी है, उसके अन्तर्गत राज्यों को स्पट तौर पर यह दिशा-निर्देश जाने चाहिए कि जो सूचनाएं अध्यक्ष द्वारा मांगी जा रही हैं, वे उपलब्ध करायी जाएं और जो अनियमितताएं आइडैंटिफाई हों उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जब तक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन न हो तब तक उस फंड के कार्यान्वयन पर रोक लगा दे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक राज्य मंत्री ने तीन सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम कर लिया। जब हमने जिलाधिकारी को पत्र लिखा तो उन्होंने अधिशासी अभियंता से पत्र लेकर मुझे लिखा कि विभाग ने कोई शिलान्यास कार्यक्रम नहीं करवाया। मैंने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न करवाएं परन्तु शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हुआ। आप अपने दिशा-निर्देश के अनुसार लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न कराने के लिए निर्देश दें।

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैं विशेा तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित एक मसला उठाना चाहता हूं कि कोई केन्द्रीय मंत्री आदेश देता है और उत्तर प्रदेश शासन उसका उल्लंघन करते हुए उसके विपरीत तीन-चार आदेश दे चुका है। पहला शान्ता कुमार जी का आदेश था उसमें स्पट लिखा गया था कि strict instructions have been given that the functions relating to the *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* should be held in an appropriate manner and invariably the foundation stone should be laid by the Member of Parliament concerned.

उसके ऊपर उत्तर प्रदेश शासन के मोहम्मद हलीम खां, सचिव लिखते हैं " क्षेत्र के विधायक, ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के लोगों की अनुमोदन की भी आ वश्यकता है।"

इसके अतिरिक्त 19 सितम्बर को प्रिसिपल सैक्रेटरी उत्तर प्रदेश लिखते हैं कि

The MP should inaugurate the roads. It was followed by another letter issued by the Secretary, Department of Rural Development, Government of Uttar Pradesh dated 14th February, 2003 saying that along with the MP, the MLA's name should also be incorporated in the foundation stone. यहां यह निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाना चाहिए। It left enough scope for total confusion. This is what is happening in Uttar Pradesh. There is absolute confusion. हम चाहते हैं कि जिला परिद के अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो, जिला परिद से अनुमोदन न हो। इसमें एमपी की हिस्सेदारी होनी चाहिए।

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, I would like to ask one question. What is the role of Members of Parliament in selecting these programmes, in selecting the blocks, in monitoring the programmes and implementing them? Even though a Monitoring Committee has been constituted, no meeting of this Committee is being held and the Collectors have no information regarding this. We are completely ignored by the authorities in the implementation of these programmes.

I would like to know whether the Ministry of Rural Development will give appropriate instructions to the officers concerned to implement it properly, in a uniform way all over the country. I would also like to know whether uniform guidelines will be given to all the States. I would urge that there should be a mechanism to implement it properly.

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, इस बात का कनफ्यूज़न हो रहा है क्योंकि सड़कों के ठेके यहां से दिये गये हैं, राज्य सरकार ने नहीं दिये हैं। जो मुख्य ठेकेदार है, उसने ठेका लेकर दूसरे को दे दिया। यदि उसका हिसाब-किताब नहीं जमा तो उसने आगे दूसरे को दे दिया और यदि उसका भी हिसाब-किताब नहीं जमा तो काम ही शुरु नहीं हुआ। मूल समस्या यह है कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिये कि ठेका ऊंची दरों पर क्यों दिया गया है? यही कारण है कि काम नहीं हो रहा है और समितियां नहीं बन पायी हैं। राज्य सरकार के सामने यही समस्या है। ठेकेदार आते नहीं, काम शुरु नहीं होता। सभापति महोदय, मामला गम्भीर है। इस ओर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिये। लेकिन दोा राज्य सरकार पर मढ़ दिया जाता है। इस बात को देखा जाये।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : इतने महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा हो रही है, कृपया बैठ जायें।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है लेकिन सासंदों की अनुशंसा को आधार नहीं माना जाता है। क्या मंत्री जी इस बात को स्पट करेंगे कि क्या सांसदों की अनुशंसा अनिवार्य है या नहीं? इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जिन सड़कों का शिलान्यास किया जाता है, सासंदों को अनदेखा किया जाता है। क्या ऐसी परिस्थिति में दूसरी बार शिलान्यास के समय सांसदों को महत्व दिया जायेगा?

सभापति महोदय, मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि एक या दो हजार की जनसंख्या वाले गांवों में दो तरह की रोड बनती हैं। इसमें तीन किलोमीटर और दो किलोमीटर रोड के बीच में गैप रह जाता है। उस गैप को कौन बनाये? क्या मंत्री महोदय स्पट करेंगे कि उसकी लम्बाई बढ़ाने के लिये स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि यह गैप नहीं पूरा होता तो आवागमन में असुविधा होती है और मार्ग अवरुद् हो जाता है। इसलिये मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्या औचित्य है? क्या सरकार ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत रोड की लम्बाई बढ़ाये जाने के लिये कार्यवाही करेगी?

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं उसी बात को पुन: दोहराना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क की चौड़ाई सीमा क्या है और जहां गांव में जमीन नहीं मिल पा रही है, वहा क्या स्थिति है? वहां कितनी चौड़ाई ली जायेगी?

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से आता हूं। इलाहाबाद के दो निवाचन क्षेत्र हैं - इलाहाबाद एवं फूलपुर। इलाहाबाद से डा. मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं और फूलपुर से मैं सांसद हूं। सरकार ने शायद डा. मुरली मनोहर जोशी को निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया है लेकिन फूलपुर के लिये बनी निगरानी संमिति में मुझे रखा गया है या नहीं, आज तक पता नहीं है। वहां सड़कों के निर्माण के लिये ठेके दिये जा रहे हैं। इंजीनियर्स लूट-खसोट कर रहे हैं। निगरानी समिति काम नहीं कर रही है। सरकार उन्हें मनमाने अधिकार देती है जिससे चाहे वे जो करें। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI ANANTH KUMAR): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank all the hon. Members who have participated in this very important discussion.

The *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* is a very successful programme launched by the NDA Government. Actually, there is an allocation of Rs. 60,000 crore over the years to connect 1,60,000 habitations. इसमें सांसदों की क्या पात्रता होनी चाहिये, ऐसा बार-बार पूछा गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सभी प्रदेश सरकारों को गाइडलाइन्स भिजवा दी गई हैं। We have said here that under the *Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana*, the proposals of the Members of Parliament are required to be given full consideration.

18.00 hrs.

The list of unconnected habitations along with the population in each district along with the list of roads identified to connect them as part of the core network should be sent to the Members of Parliament. To facilitate the MPs in making their suggestions, it will be incumbent upon the District *Panchayat* to ensure that while framing the proposals, full consideration is given to the proposals received from the Members of Parliament within the framework of the guidelines....(*Interruptions*)

श्री धर्म राज सिंह पटेल : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अनंत कुमार : मैंने कम्पलीट नहीं किया है।

सभापति महोदय : अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उनकी पूरी बात सुन लीजिए।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो सांसद अपनी रिकमेंडेशन देंगे, उसे जिला पंचायत पास करेगी। वहां जिला पंचायतों में यह हो रहा है कि जिला सांसदों की बात और एम.एल.ए. की बात नहीं मानी जायेगी। जिला पंचायतों में सदस्यों की संख्या सौ के आसपास रहती है। वे कहते हैं कि हम पास नहीं करेंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानी जायेगी।

सभापति महोदय : ठीक है, वैसी हालत में मंत्री जी समाधान देंगे, आप बैठिये।

श्री अनंत कुमार : हमने कभी यह नहीं कहा। सड़कों का जो कोर नैटवर्क है, उसे जिला पंचायत ही तैयार करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही तैयार करेगा। लेकिन सांसदों को भी हक है, वे एक प्रस्ताव भेज सकते हैं। उन दोनों प्रस्तावों को मिलाकर एक कोर नैटवर्क का प्रोपोजल बनायेंगे और उसे हमें दे देंगे।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : इसमें कंट्रोवर्सी है।

श्री अनंत कुमार : ऐसा ही होगा। Therefore, once more, I will re-circulate the guidelines that the hon. Members of Parliament should be taken into consideration while formulating the core network of the roads, while laying *shilanyas* to various roads connecting the habitations.

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : What about the Monitoring Committee?

SHRI ANANTH KUMAR: I have taken note of the concerns expressed by the hon. Members of Parliament, namely Dr. Laxminarayan Pandeya, Kunwar Akhilesh Singh, Shri Ramesh Chennithala, Shri Lakshman Singh and others. Therefore, we will be writing to all the State Governments. ...(*Interruptions*) More or less, we will be writing to all the State Governments and I will be personally speaking to the Chief Ministers that the role of MPs should be ensured. The role of the MPs should be ensured in formulation of the core network, in implementing the *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana,* in having any type of functions regarding inauguration or *shilanyas* of *Pradhan Mantri Gram*

Sadak Yojana. If there are some problems for the hon. Members, they can give me representations so that I can individually take up the matter with the respective State Governments.

कुंवर अखिलेश सिंह : जो मामले अभी आपके सामने उठे हैं, इन्हें तो आप करेंगे।

श्री अनंत कुमार : हम जरूर करेंगे।

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अभी मॉनीटरिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ है।â€¦ (व्यवधान) आपने नाम दे दिया। â€¦ (व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मैं अभी उस पर नहीं आया हूं। I have not yet come to the Monitoring Committee. Secondly, regarding the question of Monitoring Committee, the Union Government has already constituted Vigilance and Monitoring Committee for all the States. If some of the States have not implemented it yet, we will take up these issues with the respective State Governments individually. By and large, most of the State Governments have accepted this Vigilance and Monitoring Committee. I also know that there are reports from the Members of Parliament of various States that the required amount of co-operation is not given to those Monitoring Committees and the Presidents of the Monitoring Committees. I think the whole programme is in the nascent stage. I hope all the hon. Members will appreciate the efforts of the Government of India. This is for the first time that there is an effort that a Centrally-sponsored scheme is being implemented with the active participation of the hon. Members of Parliament. You do not have such institutional mechanism in *Valmiki Ambedkar Awas Yojana* and in various other schemes of the Union Government. But this is the first programme in which the hon. Members are actively participating. I entirely agree that there is scope for improvement and we will try for that improvement.

Lastly, regarding tendering, we are going to circulate a tender document. We are also considering whether we should come out with pre-qualification criteria for the contractors so that there would not be sub-contracting, sub-sub-contracting or contracts being given to contractors who cannot really implement the whole project.

Regarding forest lands, we have already taken up the matter with the Ministry of Environment and Forests. They have agreed that five hectares of forest land clearance per project would be allowed to be given by the Regional Committees of the Ministry of Environment and Forests. If the respective hon. Members take up the matter with these Regional Committees, they would allow five hectares of forest clearance per project.

Regarding slow implementation, it is the responsibility of the Union Government to allocate money. We have already allocated money. I am very sorry to place before the House that we had given Rs.300 crore to the State of Bihar but in the first year of the implementation, 2001-02, they have spent only Rs.50 crore and they have not taken more than Rs.300 crore under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

कुंवर अखिलेश सिंह : जब बिहार की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का भी बता दीजिए।

SHRI ANANTH KUMAR: I think, I have replied to all the queries raised by hon. Members of Parliament. The Ministry of Rural Development would be more than eager to assist hon. Members and co-operate with them in making this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana a great success.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय मंत्री जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जब डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंक्शन करते हैं तो उस समय माननीय सांसदों की राय ले लें तो निश्चित रूप से इसका समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, यह विाय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर माननीय धर्मराज सिंह पटेल जी ने आपसे एक समाधान चाहा था कि जब जिला पंचायतों में माननीय सांसदों की अनुशंसा की अनदेखी होती है, ऐसी स्थिति में आप क्या समाधान देते हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और कोर नैटवर्क की गाइडलाइन्स के तहत?

श्री अनन्त कुमार : हम केवल परसुएड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि हर प्रदेश के जिले में कितनी अनकनैक्टैड हैबिटेशन हैं, उसका पूरा ब्यौरा उनके पास होगा। इसलिए वह कोर नैटवर्क का प्रपोज़ल बनाएंगे और जो प्रपोज़ल हमारे माननीय संसद सदस्य देंगे, उसका मेल बैठाने की कोशिश हम करवाएंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि संपूर्ण कार्य योजना को अगर जिला पंचायत और जिला प्रशासन तैयार करें और सड़कों की प्राथमिकता सांसद तय करें तो समस्या का समाधान हो जाएगा।

———

18.09 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, May 5, 2003/Vaisakha 15, 2003 (Saka).